उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संख्या : ओ.यू./607/2026 दिनाँक :24-06-2026

अधिसूचना

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक ई–4072/32–जी.एस. /2026 दिनांक 21 जून, 2026 के अनुपालन में एतद्द्वारा माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति (Task Force) का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1. प्रो. संजय कुमार सिंह, – संयोजक
   प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
2. प्रो. आनन्दा नन्द त्रिपाठी – सदस्य
   प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
3. श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, – सदस्य
   प्रधान सहायक, प्रशासन अनुभाग
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
4. श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय – सदस्य
   परामर्शदाता (विद्युत), प्रशासन अनुभाग
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
5. सुश्री निक्की सिंह, – सदस्य
   तकनीकी परामर्शदाता (सिविल वर्क), प्रशासन अनुभाग,
   उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों एवं आगंतुकों हेतु आवश्यक निर्देशः–

1. एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध – विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के एकल उपयोग प्लास्टिक पालिथीन, प्लास्टिक की बोतल, गिलास, प्लेट, स्ट्रा आदि, का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
2. कचरा प्रबंधन – समस्त प्रकार का कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डाला जाएगा। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग–अलग चिन्हित डस्टबिन में डालना अनिवार्य है।
3. स्वच्छता में सहयोग – परिसर की स्वच्छता बनाए रखने हेतु सभी से अपेक्षा है कि वे पूर्ण सहयोग करें तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
4. पर्यावरण अनुकूल विकल्प – विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों, बैठकों एवं समारोहों में कुल्हड़, कागज के गिलास, पत्तल, दोना, जूट या कपड़ों के थैलों तथा कांच/स्टील के बर्तनों एवं अन्य जैव निम्नीकरणीय सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा।

माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन–भवन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा दीक्षांत समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना सभी का दायित्व है। निगरानी समिति/टास्क फोर्स समय–समय पर निरीक्षण कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करेगी।

अनुपालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(विनय कुमार)
कुलसचिव

पृ.संख्या : ओ.यू./ 6070/2026 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित समिति के सदस्यगण।
2. वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं सूचना पटल।

(विनय कुमार)
कुलसचिव